

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2019—पौष 20, शक 1940

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2019

क्र. एफ 2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016)की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम, 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29 नवम्बर 2018 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में श्रम विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

(1) श्रम विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

विभाग का नाम—श्रम विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग	रिमांक (6+7+8+9)
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि 1.5%	बहरे और कम सुनने वाले 1.5%	लोकोमोटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ होग मुक्त बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्क्युलर डिस्ट्राफी) 1.5%	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	श्रम पदाधिकारी सहायक संचालक औ. स्वा. सु.	16	16	01	01	-	-	-	01	
	योग . .	41	41	02	01	00	01	00	02	
तृतीय श्रेणी	सहायक श्रम पदाधिकारी (कार्यपालिक) श्रम निरीक्षक (कार्यपालिक) सहायक ग्रेड-3	20	20	01	-	01	-	-	01	
	योग . .	320	320	19	05	05	07	02	19	
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	145	145	09	02	02	03	02	09	
	योग . .	145	145	09	02	02	03	02	09	